**<u>फार्म बी.एम.-9 (भाग-1)</u>**

**पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिये आवेदन**

**(संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देखे)**

वित्तीय वर्ष 2025-26

अनुदान संख्या व नाम : 43-परिवहन विभाग (धनराशि लाख रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा

| लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) (पूंजीगत पक्ष) | आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग | आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध बचत | संक्रमित की जाने वाली धनराशि | वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि | संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **3055-00-800-03-00**<br>3055-सड़क परिवहन<br>800-अन्य व्यय<br>03-मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्युनल<br>29-अनुरक्षण | 200.00 | 200.00 | 162.00 | 162.00 | 38.00 |
| **योग-** | **200.00** | **200.00** | **162.00** | **162.00** | **38.00** |

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा

(धनराशि लाख रूपये में)

| लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) (पूंजीगत पक्ष) अनुदान संख्या-43 | वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/ विनियोग | वित्तीय वर्ष में कुल प्रत्याशित व्यय | संक्रमण हेतु प्रत्याशित धनराशि (9-8) | वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि | संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **3055-00-800-03-00**<br>3055-सड़क परिवहन<br>800-अन्य व्यय<br>03-मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्युनल<br>13-टेलीफोन पर व्यय | 15.00 | 177.00 | 162.00 | 162.00 | 177.00 |
| **योग -** | **15.00** | **177.00** | **162.00** | **162.00** | **177.00** |

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

**(1) बचत के कारण निम्नानुसार हैः-**

मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल अधिकांशतः किराये के भवनों में संचालित हैं ट्रिब्यूनल कार्यालय किराये पर संचालित होने के कारण लेखाशीर्ष 3055-सड़क परिवहन 800-अन्य व्यय-03-मोटर एक्सीडेट क्लेम ट्रिब्यूनल के मानक मद संख्या 29 अनुरक्षण में जनपदों से मांग पत्र प्राप्त न होने के कारण उक्त मद में धनराशि की बचत संभावित है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भी उक्त मद में धनराशि व्यय न होने के कारण उक्त मद से धनराशि रू0 50.00 लाख का पुनर्विनियोग कराया गया था एवं अवशेष धनराशि रू0 150.00 लाख समर्पित किया गया था।

**(2) व्यायाधिक्य के कारण निम्नानुसार हैं :-**

उत्तर प्रदेश में संचालित 15 न्यायाधिकरणों में से 55 जनपदों (जो जिला न्यायालय भवनों से इतर अन्य अन्य भवनों में संचालित है। में WAN क्लेक्टिविटी कराये जाने के सम्बन्ध में भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराये गये वित्तीय आगणन के अनुसार (प्रथम वर्ष हेतु रू0 1,36,80,150.00 + द्वितीय वर्ष हेतु रू0 1,21,43,175.00) कुल धनराशि रू0 2,58,23,325.00 (रू0 दो करोड़ अठ्ठावन लाख तेईस हजार तीन सौ पच्चीस मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान गयी है, जिसके क्रम में उक्त कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रथम वर्ष हेतु उक्त कार्य कराये जाने के लिये पहराशि रू0 1,36,80,150/- 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 रू0 24,62,427/- कुल धनराशि रू0 1,61,42,577/- की देयता है।

**(3)** प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्वनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्ध/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

**आर0ई0 संख्या-बजट-1-106-, दिनांक 13-10-2025**

सेवा में,

महालेखाकार,
(लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद।

ह0/-
(के0पी0 सिंह)
विशेष सचिव,
परिवहन विभाग।

ह0/-
(सिद्धार्थ श्रीवास्तव)
अपर निदेशक,
वित्त विभाग,
उ०प्र०शासन।

संख्या-125/2025/2227(1)/तीस-3-2025 दिनॉक 31 अक्टूबर, 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस शर्त के साथ प्रेषित कि जिस मानक मद से पुनर्विनियोग का प्रस्ताव किया गया है, उसी मानक मद में चालू वित्तीय वर्ष में धनराशि के पुनर्विनियोग का प्रस्ताव नहीं किया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस मानक मद में धनराशि का पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस धनराशि का चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा।

4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

5- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ ।

6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9

7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (03 प्रतियों में)।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह0/-

(के0पी0 सिंह)

विशेष सचिव,

परिवहन विभाग।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।